संख्या-बी0एस0डी0एम0/कार्य समीक्षा/14/2016-339 पटना, दिनांक- 23/8/2016

बिहार कौशल विकास मिशन,

श्रम संसाधन विभाग,बिहार सरकार

अधिसूचना

विषय:- राज्य में कौशल प्रशिक्षण हेतु समरुप प्रक्रियात्मक एवं दर मानक के निर्धारण के संबंध में ।

राज्य के युवाओं के कौशल वर्धन हेतु राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा राज्य योजना मद से तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है । सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण शुल्क तथा प्रशिक्षण अवधि वर्त्तमान में भिन्न-भिन्न है । राज्य में चल रहे एवं भविष्य में संचालित होने वाले सभी प्रकार के कौशल विकास कार्यक्रम में एकरुपता के लिए बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा कौशल संबर्द्धन के विभिन्न प्रक्रियाओं एवं विभिन्न दरों का मानक निर्धारित किये जाने हेतु Process एवं Cost norms तैयार किया गया है जो इस अधिसूचना के साथ अनुसूची-1 के रुप में संलग्न है ।

2. बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा प्रशिक्षण शुल्क, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण अवधि की समरुपता को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के परामर्श से इस Process एवं Cost norms को तैयार किया गया है, जिसमें प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसियों के लिए प्रशिक्षण शुल्क तथा प्रशिक्षण प्रणाली का विस्तृत उल्लेख किया गया है ।

3.यह मानक तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा परन्तु कतिपय विभागों द्वारा पूर्व से चलायी जा रही प्रक्रियाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (on going training programmes) के मद्दे नजर उन्हें इन मानक से संबद्ध होने हेतु अधिकतम 01.01.2017 तक का समय दिया जा रहा है । तदनुसार राज्य सरकार के सभी विभागों के द्वारा इस Process एवं Cost norms को अधिकतम दिनांक-01.01.2017 के प्रभाव से अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में लागू करना अनिवार्य होगा। इस Process एवं Cost norms की प्रमुख विशेषतायें निम्नवत है :-

- सभी विभागों के द्वारा चलाये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम में बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा जारी प्रशिक्षण कैलेंडर का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा ।
- यह Process एवं Cost norms राज्य सम्पोषित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर लागू होगा ।
- कौशल प्रशिक्षण से संबंधित वैसी योजनायें जिनके लिए भारत सरकार के द्वारा कोई मानक प्रक्रिया निर्धारित नहीं है, वैसी योजनाओं पर भी यह लागू होगा ।
- कौशल प्रशिक्षण से संबंधित वैसी केन्द्र प्रायोजित योजनायें जिनके अपने मानक हैं, उनमें भी इन अधिसूचित न्यूनतम मानकों का अनुपालन अनिवार्य होगा ।
- सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का शुल्क समान होगा ।
- सभी प्रशिक्षण प्रदाता केन्द्रों को जो राज्य में केन्द्र प्रायोजित योजना सहित किसी भी योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहे हों या जिन्हें कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु चयनित किया जायेगा, उन्हें अनिवार्य रुप से बिहार कौशल विकास मिशन के Web portal –www. skillmissionbihar.org पर पंजीकृत होना होगा ।

- सभी विभागों के द्वारा संचालित केन्द्र प्रायोजित योजना सहित सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबद्ध सभी प्रशिक्षणार्थियों को भी बिहार कौशल विकास मिशन के उक्त Web portal पर पंजीकृत होना अनिवार्य होगा ।
- राज्य में संचालित कौशल विकास से संबद्ध सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुश्रवण (भुगतान सहित) बिहार कौशल विकास मिशन के Web portal के द्वारा किया जायेगा ।

4. यह अधिसूचना बिहार कौशल विकास मिशन के शासी पर्षद एवं कार्यकारिणी समिति के लिए गये निर्णय के आलोक में निर्गत की जा रही है ।

ह0/–
(दीपक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन ।

ज्ञापांक–बी0एस0डी0एम0/कार्य समीक्षा/14/2016– 339 पटना, दिनांक– 23/8/2016

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव,विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/ प्रधान सचिव,वित्त विभाग/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रधान सचिव,शिक्षा विभाग/प्रधान सचिव, कृषि विभाग/प्रधान सचिव,समाज कल्याण विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/ प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग/प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग/ सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग विभाग/सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग/महानिरीक्षक, कारा सेवायें/सचिव, अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण विभाग/ निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण को norms की दो प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23/8/16

प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन ।